Regd. No. CHD/0093/2012–2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, MONDAY, SEPTEMBER 9, 2013
(BHADRA 18, 1935 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 9th September, 2013

No. 31—HLA of 2013/72.—The Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill, 2013, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 31 – HLA of 2013

THE INDIAN STAMP (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2013

A

BILL

further to amend the Indian Stamp Act, 1899, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Indian Stamp (Haryana Amendment) Act, 2013. Short title.

2. In Schedule 1A to the Indian Stamp Act, 1899 (hereinafter called the principal Act), in Article 5, after clause (c), the following clause shall be added, namely :— Amendment of Article 5 of Schedule 1A to Central Act 2 of 1899.

(1)	(2)
"(d) If relating to giving authority or power to a promoter or a developer,	The same duty as is leviable on a conveyance against article No. 23

(1)	(2)
by whatever name called, for construction on, development of or, sale or transfer (in any manner whatsoever) of, any immovable property.	on the market value of the property mentioned in agreement.".

Amendment of Schedule IA to Central Act 2 of 1899

3. In Schedule 1-A to the principal Act, under column "Proper Stamp Duty",—

(i) against article 19, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"One rupee for every one thousand or a part thereof, of the value of the shares, scrip or stock.";

(ii) against article 27 —

(a) in clause (a), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"0.05% per year of the face value of the debenture, subject to the maximum of 0.25%.";

(b) in clause (b), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"0.05% per year of the face value of the debenture, subject to the maximum of 0.25%.";

(iii) against article 48—

(a) in clause (a), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Three hundred rupees.";

(b) in clause (b), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Three hundred rupees.";

(c) in clause (c), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Three hundred rupees.";

(d) in clause (d), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Five hundred rupees.";

(e) in clause (e), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"One thousand rupees."; and

(f) in clause (g), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"One hundred rupees for each person authorized.

N.B.— The term "registration" includes every operation, incidental to registration under the Indian Registration Act, 1908.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

It is necessary to enhance the stamp duty in various documents as the rates of stamp duty are nominal on the aforesaid documents. The State exchequer is suffering from these nominal rates of stamp duty. There is boom in the business of companies now a days in India as well as in Haryana. The State of Haryana is a hub of business these days. The companies run their business through developers and collaborators. So, to curb this practice of evasion of stamp duty and registration fee, the Government proposes to make provisions in stamp act for the collection of the stamp duty in these cases. The business of plots/flats/commercial activity is mushrooming these days. This business is run by rich people/companies. All the business activities are done like owners of the land. The companies run their business through issuing/transferring the shares and also do business on the marketable security of debentures. On the *ibid* reasons, the Government of Haryana intends to enhance the stamp duty on aforesaid items. Therefore, the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill, 2013 is placed on table of house.

MAHENDER PRATAP SINGH,
Revenue Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh :
The 9th September, 2013.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

The Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill, 2013, will increase the stamp duty near by 200 crores yearly to State Exchequer. The existing and the proposed rates of stamp duty are as under : –

Sr. No.	Nature of Instrument	Existing Rates	Proposed Rates
1.	Collaboration Agreement	Rs. 2.75	5% of the market value mentioned in Agreement
2.	Certificate of Shares	Forty Paise each certificate	One rupee for every one thousand or a part thereof, of the value of the shares, scrip or stock
3.	Debenture	0.5% per year of the face value of the maximum of 0.25% or rupees twenty-five lakhs whichever is lower	0.5% per year of the face value of the debenture, subject to the maximum of 0.25%
4.	Special Power of Attorney General Power of Attorney	Rs. 100/- Rs. 300/-	Rs. 300/- Rs. 500/-

[*प्राधिकृत अनुवाद*]

2013 का विधेयक संख्या 31 – एच० एल० ए०

भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2013

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 को, हरियाणा राज्यार्थ, आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2013, कहा जा सकता है । संक्षिप्त नाम।

2. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की अनुसूची 1क में, मद 5 में, खण्ड (ग) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :– 1899 के केन्द्रीय अधिनियम 2 की अनुसूची 1क की मद 5 का संशोधन।

(1)	(2)
"(घ) यदि किसी प्रोत्साहक या किसी विकासक, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, को किसी अचल सम्पत्ति पर निर्माण, के विकास या विक्रय या अन्तरण (किसी भी रीति में चाहे जो भी हो) के लिए प्राधिकार या शक्ति देने से संबंधित है ।	वही शुल्क जो करारनामें में वर्णित सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर मद संख्या 23 के सामने हस्तांतरण–पत्र पर उद्ग्रहणीय हो ।"।

3. मूल अधिनियम की अनुसूची 1क में, "उचित स्टाम्प शुल्क" खाने के नीचे,– 1899 के केन्द्रीय अधिनियम 2 की अनुसूची 1क का संशोधन।

(i) मद 19 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"उसके शेयरों, स्क्रिप या स्टाक के मूल्य के प्रति एक हजार या उसके भाग के लिए एक रुपया।";

(ii) मद 27 के सामने–

(क) खण्ड (क) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"अधिकतम 0.25 प्रतिशत के अध्यधीन डिबेंचर के अंकित मूल्य का 0.05 प्रतिशत प्रतिवर्ष।";

(ख) खण्ड (ख) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

'अधिकतम 0.25 प्रतिशत के अध्यधीन डिबेंचर के अंकित मूल्य का 0.05 प्रतिशत प्रतिवर्ष।";

(iii) मद 48 के सामने–

(क) खण्ड (क) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"तीन सौ रुपए।";

(ख) खण्ड (ख) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"तीन सौ रुपए।";

(ग) खण्ड (ग) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"तीन सौ रुपए।",

(घ) खण्ड (घ) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"पांच सौ रुपए।",

(ङ) खण्ड (ङ) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"एक हजार रुपए।"; तथा

(च) खण्ड (छ) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् .–

"प्राधिकृत किए गए प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक सौ रुपए।

भली–भांति ध्यान दें-- 'रजिस्ट्रीकरण' पद के अन्तर्गत ऐसी प्रत्येक क्रिया आती है, जो भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन रजिस्ट्रीकरण से आनुषंगिक है।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

कई दस्तावेजो पर स्टाम्प ड्यूटी नाममात्र होने के कारण इन पर स्टाम्प डयूटी बढाना अनिवार्य हो गया है। इन नाममात्र स्टाम्प डयूटी रेटों के कारण राज्य का खजाना हानि उठा रहा है। देश के साथ साथ हरियाणा राज्य में भी इन दिनों कम्पनियों का व्यापार शीर्ष पर है। इन दिनों हरियाणा राज्य इस व्यापार का केन्द्र बिन्दु है। कम्पनियां विकसित कर्ताओं व साझीदारों के माध्यम से व्यापार कर रही हैं। अतः इस प्रकार की स्टाम्प डयूटी व रजिस्ट्रेशन फीस की चोरी को रोकने के सरकार ने इन दस्तावेजों पर स्टाम्प डयूटी लेने का प्रस्तावित किया है। इन दिनों प्लाट/फ्लैट व व्यवसायिक गतिविधियों का व्यापार फलफूल रहा है। यह व्यापार धनाढय लोगों/कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है। सारा व्यापार भू-स्वामियों की भांति किया जा रहा है। कम्पनियां अपना व्यापार शेयरों व डिबैन्चरों को जारी करके/स्थानान्तरण करके किया जा रहा है। उक्त वर्णित कारणों से हरियाणा सरकार ने इन मदों पर स्टाम्प बढाने का निर्णय लिया है। इसलिए भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) बिल, 2013 सदन के पटल पर रखा जाता है।

महेन्द्र प्रताप सिंह,
राजस्व मन्त्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 9 सितम्बर, 2013.

सुमित कुमार,
सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) बिल, 2013, राज्य के खजाने में लगभग 200 करोड़ रुपये अधिक की भरपाई करेगा। वर्तमान व प्रस्तावित स्टाम्प ड्यूटी रेट निम्नलिखित हैं :–

क्रमांक	मद	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
1.	सहयोग इकरारनामा	2.75 रुपये	बाजारी कीमत पर 5 प्रतिशत
2.	शेयर सर्टीफिकेट	40 पैसे प्रति सर्टिफिकेट	प्रत्येक हजार रुपये या उसके भाग पर एक रुपया
3.	डिबैन्चर	डिबैन्चर के अंकित मूल्य पर 0.05 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 0.25 प्रतिशत या 25 लाख रुपये जो भी कम हो	डिबैन्चर के अंकित मूल्य पर 0.05 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 0.25 प्रतिशत
4.	मुखत्यारनामा खास	100 रुपये	300 रुपये
	मुखत्यारनामा आम	300 रुपये	500 रुपये

51490—H.V.S. –H.G.P., Chd.